DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । मंगलवार, 16 जनवरी 2024

50 साल पुराने अपार्टमेंट के लिए मास्टर प्लान-2041 का इंतज़ार

टीओडी और अतिरिक्त FAR मिले तो बने एकता अपार्टमेंट की बात

NBT कायापलट
घर वहीं, सूरत नई

दिल्ली में रीडिवेलपमेंट की बढ़ती जरूरत और मांग को देखते हुए एनबीटी अपनी सीरीज 'घर वहीं, सूरत नई' के तहत रविवार को मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन के पास एकता अपार्टमेंट में पहुंचा। यहां के रेजिडेंट्स ने एनबीटी को ईमेल कर इस अपार्टमेंट की खस्ता हालत के बारे में बताया था। यह अपार्टमेंट डीडीए ने 1970 के दशक में बनाए थे। इसे बने करीब 48 साल हो चुके हैं।

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

रेजिडेंट्स के अनुसार, तीन मंजिला इन अपार्टमेंट की कई बालकनी का एक हिस्सा झड़ने लगा है। लोग खुद कई बार अपने फ्लैट्स की मरम्मत करवा चुके हैं। फ्लैट के अंदर ही नहीं, बल्कि बाहर भी पैचअप करवाकर इन ढहती दीवारों को खड़े रखने की हर कोशिश रेजिडेंट्स कर रहे हैं। एकता अपार्टमेंट में कुल 104 फ्लैट्स और इसके बगल में स्थित गौरव अपार्टमेट में 66 अपार्टमेंट है। यहां न पार्किंग है न ही सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त है। बारिश होने से पहले यहां रहने वाले लोगों की नींद उड़ जाती है। वजह यह है कि दोनों तरफ की मेन रोड से अपार्टमेंट नीचे पड़ता है। इस वजह से सड़कों से बहता हुआ पानी यहां तक आ जाता है। झड़ती दीवारों से जंग लगे सरिए नजर आ रहे है। कुछ जगहों पर तो देखकर लगता है कि ये बस गिरने को हैं।

लोग खुद अपने फ्लैट्स की मरम्मत करवाकर थक चुके हैं

कुछ फ्लैट्स के ओनर दूसरे शहरों और दूसरे एरिया में रहते हैं। देखरेख के अभाव में उनके फ्लैट्स काफी जर्जर हो चुके हैं। इनकी फॉल्स सीलिंग, बालकनी आदि से आसपास वाले फ्लैट्स वालों में डर है। लोगों का कहना है कि डीडीए न तो उनकी समस्या का हल करवा पा रहा है न ही उन्हें कोई स्थाई समाधान दे पा रहा है।

मास्टर प्लान-2041 का इंतज़ार

एकता अपार्टमेंट की आरडब्ल्यूए को मास्टर प्लान-2041 से काफी उम्मीदे है। जब इस प्लान के लिए पब्लिक से सुझाव लिए जा रहे थे, तब इस आरडब्ल्यूए ने रीडिवेलपमेंट की मांग को प्रमुखता से उठाया। क्योंकि यह अपार्टमेंट मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन के पास है और इसके आसपास कई अन्य अपार्टमेंट भी है तो इन्हें उम्मीद है कि टीओडी (ट्रांजिट ओरिएंटेड डिवेलपमेंट) की तर्ज पर इसे रीडिवेलप किया जाए। ताकि इसके तहत मिलने वाली अतिरिक्त FAR और कमर्शल स्पेस से खर्चे निकल जाएं। इस प्लान के नोटिफाई होने मे लगातार हो रही देरी से यहां की आरडब्ल्यूए काफी निराश है।

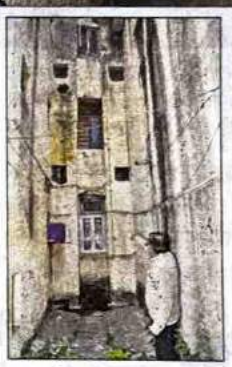

जर्जर मकान: एकता अपार्टमेंट में कुल 104 फ्लैट्स है और सभी की हालत इस वक्त इतनी खराब है कि अनहोनी की आशंका हमेशा बनी रहती है।

"सरियों में जंग लग चुका है, स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज और सीवर व्यवस्था चोक है। मास्टर प्लान-2041 में टीओडी और रीडिवेलपमेंट के नॉर्म कुछ आसान होने की उम्मीदें हैं। दो मुख्य समस्याएं हैं। फंडिंग और रीडिवेलपमेंट के दौरान लोग कहां रहेंगे। अतिरिक्त FAR और मिक्स्ड लैंड यूज मिलने से इन दोनों समस्याओं का हल हो सकता है। टीओडी की तर्ज पर रीडिवेलपमेंट की मंजूरी मिलनी चाहिए।
–जी एल वर्मा, प्रेजिडेंट, RWA

बारिश में यहां की हालत काफी खराब हो जाती है। रीडिवेलपमेंट के बिना समस्याओं का हल नहीं है। बारिश में गाड़ियां खराब हो जाती हैं। - हर्षवर्धन

यहां पर काफी दिक्कतें हैं। कुछ फ्लैट्स तो बुरी हालत में है। झड़ती बालकनी देखकर डर लगता है कि कब नीचे आ जाए। -नरेंद्र भारद्वाज

खराब ड्रेनेज की वजह से जॉब छोड़ी। जिस तरह घुटनों तक पानी भर जाता है उन हालात में पैरेंट्स को छोड़कर नहीं जा सकते। - एडवोकेट रूपा शर्मा

सरकार हम लोगों की भावनाओं से खेल रही है। खुद रीडिवेलपमेंट करवा नहीं रही है और नियम लोगों के हितों में नहीं बना रही। -सुरेंद्र कुमार

बारिश के तुरंत बाद यहां कई विभागों की टीमें मच्छरों के चालान करने आ जाती हैं। सभी विभाग हमारी मजबूरियों का फायदा उठाते हैं। -अभिमन्यु

हालात साल दर साल खराब हो रहे हैं। बाहर और अंदर से कई बार रिपेयर वर्क करवाने के बावजूद फ्लैट्स कमजोर हो रहे हैं। -मंजू माथुर

सवालों के जवाब भी

अगर रीडिवेलपमेंट को लेकर मन में कोई सवाल है तो उनका जवाब भी हम एक्सपर्ट्स की मदद से देंगे। रीडिवेलपमेंट पर अपनी राय, सुझाव और सवाल आप ईमेल भी कर सकते हैं। अपना नाम, मोबाइल नंबर और अपने बारे में जरूरी जानकारी nbtreader@timesgroup.com पर भेज दें। सब्जेक्ट में Redevelopment जरूर लिखें।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NE नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । मंगलवार, 16 जनवरी 2024 ----------DATED----------

किसी स्लम में नहीं हो रही तोड़फोड़ : डीडीए

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

बीते दो दिनों से डीडीए की गोकलपुरी में चल रही तोड़फोड़ की कार्रवाई पर आम आदमी पार्टी ने कई आरोप लगाए हैं। यह विवाद बीते दो दिनों से तेज होता जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि झुग्गियों को डीडीए ढहा रहा है। अब दो दिन बाद डीडीए ने इस तोड़फोड़ अभियान पर सफाई दी है।

दी सफाई : गोकलपुरी में ऑटोमोबाइल शोरूमों को ही तोड़ा

डीडीए ने दो दिन से लग रहे सभी आरोपों को आधारहीन और गलत बताया है। डीडीए ने बताया कि लोक नायक मार्ग पर तीन जेजे क्लस्टर का का सर्वे प्रोसेस 2011 में डीयूएसआईबी ने किया था। इन तीन जेजे क्लस्टर में दो डिफेंस की जमीन पर है और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रभावित कर रहे हैं। डीडीए ने लाभार्थियों की लिस्ट को अपडेट करने के लिए रीसर्वे भी किया है ताकि कोई भी योग्य लाभार्थी लाभ से वंचित न रहे। इस पूरी कवायद का मकसद ही यही है कि जेजे क्लस्टर में रहने वाले लोगों को पुर्नवासित किया जा सके। डीडीए ने हाल ही में कालकाजी में जेजे क्लस्टर के लोगों को फ्लैट दिए हैं।

डीडीए के अनुसार 13 जनवरी को गोकलपुरी में चली तोड़फोड़ ड्राइव सरकारी जमीन पर कब्जा हटाने के लिए चली थी। यह जमीन डीडीए की है। इसमें कई बड़े ऑटोमोबाइल शोरूम भी थे जो करोड़ों रुपये का लाभ कमा रहे हैं। सिर्फ उनके खिलाफ ही एक्शन हो रहा है।

इंडस्ट्रियल एरिया को एलजी से मिली मंजूरी

■ विस, नई दिल्ली : उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के रानी खेड़ा इलाके में 147 एकड़ जमीन को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए अधिसूचना जारी करने की मंजूरी दे दी है। यह जमीन डीडीए ने 2007 में ही डीएसआईआईडीसी को हैंडओवर कर दी थी। डीएसआईआईडीसी इस पर मल्टीलेवल मैन्युफैक्चरिंग हब विकसित करना चाहती थी, लेकिन एनजीटी द्वारा 14 दिसंबर 2017 को लगाई गई रोक की वजह से यह परियोजना लटक गई। हालांकि, पिछले साल 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के आदेश के खिलाफ निर्णय दिया था, जिसके बाद इस जमीन को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने का रास्ता साफ हो गया। एलजी ऑफिस के अनुसार, कानूनी बाधाएं दूर होने के बाद दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग ने इसी साल 3 जनवरी को एलजी के समक्ष फाइल प्रस्तुत की थी।

रानी खेड़ा में 147 एकड़ जमीन को किया जाएगा विकसित

ईस्ट दिल्ली का पहला राम मंदिर कहां?

विवेक विहार में श्रीराम मंदिर में भगवान राम की छह फीट ऊंची मूर्ति भक्तों के आकर्षण का केंद्र है। यहां भी प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन कीर्तन, राम कथा, सुंदर कांड और भंडारे के कार्यक्रम चलेंगे। रात को दीपोत्सव के बाद आतिशबाजी का भी भव्य कार्यक्रम रहेगा। माना जा सकता है कि यमुनापार का यह पहला श्रीराम मंदिर है। डीडीए ने विवेक विहार के लिए प्लॉट काट कर देने की प्रक्रिया 1967 में शुरू की थी। लोगों के घर बनने के बाद उन्होंने श्रीराम मंदिर की स्थापना 1972 में की। फिर इसका विकास और विस्तार होता रहा। यहां पर श्रीराम दरबार, शिव परिवार, मां सरस्वती, हनुमान जी की सुंदर मूर्तियां स्थापित है। विवेक विहार से सटे आनंद विहार में भी एक श्रीराम मंदिर है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

4 दैनिक जागरण नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2024 ----------DATED----------

रानी खेड़ा में बनाया जाएगा नया औद्योगिक क्षेत्र

- एलजी ने दी मंजूरी, बापरोला और कंझावला में भी दी थी स्वीकृति
- डीडीए ने दी भूमि, 16 वर्ष बाद औद्योगिक क्षेत्र होगा अधिसूचित

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: उत्तर पश्चिमी दिल्ली के रानी खेड़ा में औद्योगिक क्षेत्र बनाने की मंजूरी उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दे दी। यहां 147 एकड़ भूमि पर उद्योग लगेंगे। राजनिवास ने बताया कि भूमि दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं ढांचागत विकास निगम (डीएसआइआइडीसी) से दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को हस्तांतरित कर दी गई है।

डीएसआइआइडीसी ने इस भूमि पर पहले मल्टी-लेवल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन एनजीटी ने 14 दिसंबर 2017 को रोक लगा दी थी। 31 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के आदेश को रद कर दिया था। जिसके बाद उद्योग विभाग ने रानी खेड़ा को औद्योगिक क्षेत्र के तौर पर विकसित करने के लिए तीन जनवरी को उपराज्यपाल से स्वीकृति मांगी। जिस पर मंजूरी मिल गई। इससे पहले उन्होंने बापरोला में 55.20 एकड़ और कंझावाला में 920 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए मंजूरी दी थी।

उत्तर पश्चिमी दिल्ली का रानी खेड़ा गांव, जहां बनेगा औद्योगिक क्षेत्र ● जागरण

रानी खेड़ा में बन रहे औद्योगिक क्षेत्र पर दिल्ली सरकार ने कहा था कि यहां बायोटेक्नोलाजी, आईटी, आइटीडीएस, शोध, नवाचार व मीडिया समेत अन्य उद्योग स्थापित किए जाएंगे। यहां एक इंटीग्रेटेड पार्क बनाने की भी योजना है। खास बात यह है कि रानी खेड़ा में औद्योगिक इकाइयां प्रदूषण मुक्त होंगी। सरकार उन क्षेत्रों से जुड़े उद्योगों को यहां प्राथमिकता देगी, जो बिल्कुल प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। जाहिर है दिल्ली में औद्योगिक क्षेत्र बनने से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

झुग्गियां तोड़े जाने के आप नेताओं के आरोप पूरी तरह झूठे : डीडीए

केंद्र ने जेजे क्लस्टर को 31 दिसंबर 2026 तक दी है सुरक्षा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: आप नेताओं द्वारा झुग्गियां तोड़े जाने का आरोप लगाए जाने पर डीडीए ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सोमवार को डीडीए ने एक बयान जारी कर कहा कि गत दिनों दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज व गोपाल राय के हवाले से झुग्गियों को ध्वस्त करने के लिए डीडीए द्वारा सर्वे किए जाने के संबंध में मीडिया रिपोर्ट आई हैं। इसलिए यहां यह रिकार्ड में लाया जाना आवश्यक है कि किसी भी झुग्गी को ध्वस्त नहीं किया गया है और न ही ध्वस्त किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रविधान) द्वितीय अधिनियम, 2011 की वैधता को 31 दिसंबर 2026 तक तीन साल के लिए बढ़ा दिया है। इसके अनुसार दिल्ली में जेजे क्लस्टर सहित कुछ अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसलिए आप नेताओं का बयान न केवल झूठा, निराधार और शरारतपूर्ण है, बल्कि लोगों को गुमराह करने के इरादे से भी प्रेरित है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के बयान में सर्वे के बारे में भी स्पष्टीकरण दिया गया है। बताया गया है लोक कल्याण मार्ग पर तीन जेजे क्लस्टर के लिए सर्वेक्षण प्रक्रिया वर्ष 2011 में डूसिब द्वारा शुरू हुई थी। यहां तीन कैंप में से दो कैंप रक्षा मंत्रालय की जमीन पर हैं जो महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास को प्रभावित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, डीडीए लाभार्थियों की सूची को अपडेट करने के लिए एरिया का पुनः सर्वेक्षण कर रहा है, इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य इन जेजे क्लस्टरों में रहने वाले लोगों का पुनर्वास सुनिश्चित करना है।

यह भी बताया गया कि डीडीए ने हाल ही में कालकाजी में जेजे क्लस्टर के निवासियों का पुनर्वास किया है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE INDIAN EXPRESS, NAME OF NEWSPAPERS---------- THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI TUESDAY, JANUARY 16, 2024 DATED----------

Statements on demolition of slums intended to 'mislead people': DDA

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, JANUARY 15

THE DELHI Development Authority on Monday said that statements regarding the demolition of slums in Delhi were "false" and "mischievous" and "motivated with an intent to mislead the people".

The DDA's statement came a day after Delhi ministers Atishi and Saurabh Bharadwaj visited two slum clusters in the capital and accused the BJP of conspiring to remove the slum dwellers.

The statement cited media reports about the statements made by the Aam Aadmi Party (AAP) leaders, including Atishi, Bharadwaj and Gopal Rai, alleging "surveys being conducted by the DDA for demolishing slums".

LG nod to notify land for Ranikhera industrial area

New Delhi: Lieutenant governor VK Saxena on Monday gave his nod for notifying 147 acres of land in northwest Delhi's Ranikhera for developing as an industrial area.

The land was transferred to Delhi State Industrial and Infrastructure Development Corporation (DSIIDC) by Delhi Development Authority in 2007 for developing a "multilevel manufacturing hub". A case related to the setting up of a waste management facility by municipal corporation in the neighbouring area came up as a stumbling block for the project and the National Green Tribunal, in December 2017, directed DSIIDC not to build any commercial building on the said piece of land unless the issue was resolved.

DSIIDC then moved the Supreme Court, which vacated the stay on July 31, 2023.

Officials said after the legal hurdles were cleared, the industries department of Delhi government took approval from CM Arvind Kejriwal to develop Ranikhera as an industrial hub. After the CM's approval, DSIIDC, under the provisions of the Delhi Industrial Development Operation and Maintenance Act, 2010, sought the approval of the LG to notify it as an industrial area.

The industrial hub of Ranikhera will be an eco-friendly project with a focus on service industries such as IT, ITES, media, biotechnology, and research, officials said. TNN

No plans to demolish jhuggis: DDA

New Delhi: A day after AAP launched a week-long campaign, "Ghar bachao, BJP hatao" against the BJP's alleged move to "systematically demolish slums", Delhi Development Authority issued a statement on Monday, clarifying that it has no plans to remove jhuggis.

"There have been reports regarding surveys being conducted by DDA for demolishing slums, but it is brought on record that none of the slums have been demolished and they cannot be demolished because Central government has recently extended the validity of the National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second Act, 2011 up to December 31, 2026 for a period of three years," stated DDA.

"In the given circumstances, the protection of certain unauthorised developments, including the JJ clusters, in Delhi will continue from punitive action. The statements, therefore, given in this regard are not only false, baseless and mischievous but also motivated with an intent to mislead the people," the authority added.

DDA claimed that an instant survey process for three JJ clusters on Lok Kalyan Marg began in the year 2011 by Delhi Urban Shelter Improvement Board of Delhi government. "We are only resurveying the area to update the list of beneficiaries," it stated.

There was no response from AAP government to these claims.

DDA further claimed that it recently rehabilitated residents of JJ clusters in Kalkaji to the total satisfaction of the beneficiaries. During the anti-demolition drive carried out in Gokulpuri on January 13, no JJ cluster was demolished, stated the authority. TNN

हिन्दुस्तान

संसद भवन के लिए ट्यूलिप की पौध दी

नई दिल्ली। संसद भवन परिषद में इस बार ट्यूलिप के फूल खिलेंगे। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने संसद भवन परिषद में ट्यूलिप की तीन हजार पौध उपलब्ध कराए हैं। एनडीएमसी ने तीन लाख ट्यूलिप की पौध मंगाई गई है। इसमें से एक लाख डीडीए के बांसेरा और असिता जैसे पार्कों में लगाए जाएंगे। इस बार वसंत के सीजन में पूरे एनडीएमसी क्षेत्र में ट्यूलिप के फूलों की छटा बिखरेगी।

औद्योगिक क्षेत्र के विकास को मंजूरी

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने उत्तर पश्चिमी दिल्ली के रानीखेड़ा में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने को मंजूरी दे दी है। यहां पर 147 एकड़ भूमि को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2007 में ही दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम को यह भूमि हस्तांतरित कर दी गई थी। इस पर मल्टीलेवल मैनुफैक्चरिंग हब विकसित करना था, लेकिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा वर्ष 2017 में लगाई गई रोक की वजह से यह परियोजना अटक गई थी।

कोई निर्माण नहीं गिराया गया: डीडीए

नई दिल्ली, व.सं.। डीडीए प्रशासन ने सोमवार को बयान जारी कर कहा है कि डीडीए ने किसी भी झुग्गी बस्ती के क्षेत्र में निर्माण नहीं गिराया गया है।

राज्य सरकार के मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय के साथ कई नेताओं के मीडिया में कुछ बयान आए हैं, जिसमें कहा गया है कि डीडीए झुग्गी बस्ती में निर्माण गिराने के लिए सर्वेक्षण कर रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में अधिनियम 2011 की वैधता को तीन वर्ष की अवधि के लिए 31 दिसंबर, 2026 तक बढ़ा दिया है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS------ * THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI TUESDAY, JANUARY 16, 2024 -----DATED----------

Number of winged guests goes down even as variety remains same as previous years

Kushagra.Dixit@timesgroup.com

New Delhi: Fewer migratory birds have arrived this season at Yamuna Biodiversity Park compared with last year, field biologists have said.

The Yamuna Biodiversity Park is one of the major bird habitats within Delhi's boundary. Officials said the variety in species was as diverse as in previous years but the number of individual birds was low. Biologists are speculating about the reasons for the low turnout.

"This season the numbers are very low. However, the diversity is fine. There are different species that we can see but in very few numbers," said Faiyaz Khuzdar, in charge, DDA biodiversity park program.

He said that species like the northern shoveler, common pochard, northern pintail, eurasian coots etc have been sighted, but the numbers are low.

"These are some of the major species which can be spotted. We are not taking about vagrants. Some species are yet to be spotted like the ferruginous duck, eurasian wigeon and brown headed gull," Khuzdar said.

Generally, over 80 species of migratory birds, including water birds such as geese, ducks, stork, cranes, jungle birds like thrushes, raptors like harriers and eagles arrive in the region by October. About 40 species of passage migrants make a pit-stop, while there are about 180 species of resident birds.

NO-FLY ZONE

- **Drop in turnout of birds** at Yamuna Biodiversity Park and other habitats
- Density of species high, but many species not seen at all at the biodiversity park
- **Species not spotted** | Ferruginous duck, Eurasian wigeon and brown-headed gull
- **Most sighted** | Gadwall, Eurasian coot, great cormorant, northern shovelers

File photos

Last November, at the beginning of the season, several birders had pointed to the delayed migration in and around Delhi. They had said that the population was thin, while some major winter attractions like Bar Headed Geese, which often arrive in large numbers by early November, couldn't be seen. They had then cited high temperatures, poor habitat health, alternative sites along routes, delayed winters and pollution as reasons behind the low count.

Now as the winter is at its peak, birders say that it is not just the Yamuna Biodiversity Park, but other habitats too have been deprived of birds in significant numbers.

"We used to spot over 3,000 geese at Chandu in Haryana. This year so far, it's merely 300. Some rare birds spotted last year like Ruddy Turnstone, Blacked Tailed Godwit etc have not been spotted at all," birder Major General Arvind Kumar Yadav said.

"The reason is low water or poor habitat health. The low count is being seen in almost at all major habitats in the region. Besides, there's a new phenomenon this year where villagers could be seen using firecrackers and drums to drive away species like the geese, which feed on wheat, so disturbance is one more reason. But, the main issue is water," Yadav said.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NEW DELHI
TUESDAY
JANUARY 16, 2024

Hindustan Times

Asola faces ecological damage as crowds swell

Jasjeev Gandhiok
jasjeev.gandhiok@hindustantimes.com

NEW DELHI: Mohammad Faizan is on his way to Neeli Jheel with three friends. The lake, around 16km inside the Asola Bhatti Wildlife Sanctuary in south Delhi, has emerged a popular eco-tourism attraction over the past year. It has artificial waterfalls, landscaped gardens and that great modern-day magnet — selfie points.

It takes Faizan nearly 30 minutes to park his Maruti Swift Dzire: the unpaved trail to the lake is chock-a-block with other vehicles, and the parking lot at the lake can only accommodate 50-60 cars — far from the number of visitors on this sunny Sunday afternoon in an otherwise cold January.

According to Delhi forest department officials, on typical weekends, the sanctuary — home to leopards, striped hyenas and golden jackals — hosts up to 500 visitors a day. The number is likely an underestimate — wildlife experts who frequently visit the sanctuary say the figure is closer to 1,000 per day on weekends.

One major reason for such large crowds could be the low price of entry —tickets are priced at Rs 10 (entry for children below the age of 5 years is free), while it costs another Rs 10 per recording device (including smartphones).

In February 2023, Delhi's environment minister Gopal Rai formally opened the eco-tourism spot near Neeli Jheel for visitors. A few months before that, Delhi lieutenant governor VK Saxena had inaugurated four artificial waterfalls at the lake, along with a 4-km long trekking trail, as part of a larger eco-tourism plan for the area.

To be sure, the sanctuary has always been open for visitors, though till late 2021, the entry fee was Rs 500 per person.

As Neeli Jheel is around 16km inside the sanctuary, most visitors are obliged to drive their private cars. To be sure, the sanctuary does have some golf carts to take visitors to the lake, but there are only 10 such vehicles, they do not set off from the sanctuary gate till they are full, and they have no windows — which means that the 16km journey to the lake on a dusty, unpaved route can be quite tedious.

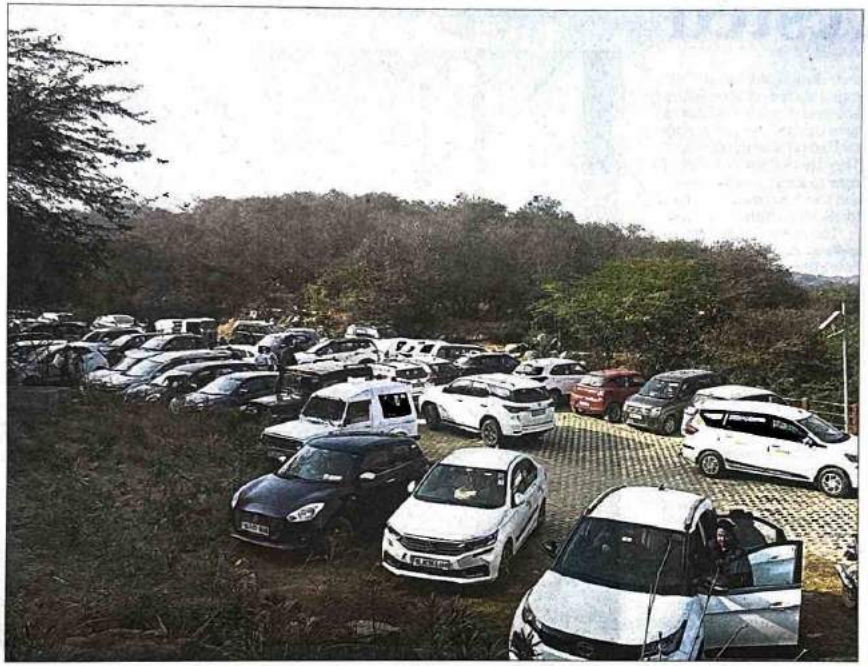

(Clockwise from top) The parking lot at Neeli Jheel; Visitors take photographs near the lake; Cars kick up dust as they navigate the winding 16km trail from the sanctuary's entrance to the lake. ARVIND YADAV/HT PHOTOS

The explosion in visitors to the sanctuary has alarmed wildlife and ecological experts who worry about how it could possibly undo the restoration work at this vital green lung of Delhi.

Impact on animals in sanctuary

Asola Bhati was declared a sanctuary in 1991, and the 32.7 sqkm area is part of the southern Ridge — an extension of the Aravalli hill range — that forms an important wildlife corridor from Sariska in Rajasthan to the Capital.

The sanctuary has an eco-sensitive zone (ESZ) of around 15.55 sqkm (as declared by the Union ministry of environment and forests in 2017), which prohibits activities such as mining, quarrying, and discharge of effluents, and regulates construction and felling of trees. Activities permitted include rainwater harvesting, the use of eco-friendly transport, and the use of eco-friendly fuels.

A two-year mammal census carried out by Sohail Madan — former centre manager of Asola, who was part of the Bombay Natural History Society (BNHS) — and his team between 2019 and 2021 revealed 17 different species at the sanctuary, including a healthy count of mongoose, golden jackals, and civets. Camera traps also captured eight different leopards, a striped hyena, hog deer, nilgai and blackbucks. Around 249 bird species have also been sighted at Asola over the years, which includes birds such as the pallid harrier (Circus macrourus) and the Egyptian vulture (Neophron percnopterus).

Surya Prakash, a zoologist and birder who has been visiting the sanctuary for over two decades, said the area has seen a huge change after the price of admission was slashed.

"There is no restriction on the number of vehicles, with 200 to 300 cars every day not only leading to noise pollution, but air pollution too. At the same time, littering takes place ," said Prakash, adding that sightings of animals such as the golden jackal and spotted deer along the main trail has drastically reduced as a result.

"Even if an animal is spotted near this trail, visitors stop their cars and step out to click pictures. Seeing a large number of visitors invariably makes the animal flee," Prakash said.

The zoologist also noted that the perfectly manicured lawns along the lake have led to a drastic reduction in the number of birds and butterflies in that area. "We used to see a lot of birds, such as the white-capped bunting, munias, rosefinches, and the blue rock thrush near Neeli Jheel, but the area has been landscaped completely. Similarly, butterflies are not being seen, because only ornamental flowers and plants are grown there now," he said.

Experts believe that a "carrying capacity" — the maximum number of people allowed at any given time in an area — needs to be defined for Asola to restrict the number of visitors and vehicles entering the sanctuary to maintain ecological balance.

"In a sanctuary or an animal reserve, it is important to have a carrying capacity defined, which at present has not been done for Asola. This means there is no cap on the number of visitors at any given time and so, many vehicles are entering simultaneously, which can lead to disturbances in animals' habitat," said Sohail Madan.

According to Madan, there have been some attempts to define a carrying capacity for Asola, but the process is still in the works. "We see this already in place at locations like Jim Corbett or Sariska, where only a limited number of vehicles – with permits — are allowed. Similarly, there is a maximum cap on the number of visitors," he said.

What a spot check revealed

HT visited the sanctuary on Sunday afternoon, but managed to enter only after a long queue at the ticket counter. A register was maintained, with each visitor asked to share the registration number of the vehicle they were taking inside, along with the total number visitors in each vehicle. Thereafter, a handwritten slip was handed over to the visitors, "allowing" them to go on ahead in their vehicle.

Visitors to the sanctuary can also log on to the Delhi forest department website and buy tickets online, so the queue at the ticket counter is not a true reflection of the actual number of visitors on any given day.

"I came here after watching an Instagram reel, which described the sanctuary as a hidden gem of Delhi. I saw a video of the lake and how scenic it looked, so we thought of having a picnic here," said Achal Gupta, 32, who came with his family from Noida.

Inside, despite signage asking visitors to not take their vehicles on certain trails, there is no monitoring, and there are no guards to ensure compliance.

Rhesus macaques were visible near the trail where the vehicles were plying, and a bevy of spotted deer saw at least five vehicles stopping to click pictures, with some visitors trying to enter the forested patch for a better view, causing the deer to flee.

Faiyaz Khudsar, scientist in-charge of DDA's Biodiversity Parks programme, said that sometimes, just the sound of vehicles can be enough to make an animal flee. "This is why in protected areas, the number of vehicles allowed is defined and pre-registered by the forest department, and only a handful of these are allowed. No diesel vehicles are allowed either. It is important to have such restrictions in place," he said.

HT reached out to the forest and wildlife department, which said it was planning to curtail the number of vehicles to 20 in the near future.

"We have observed that a lot of vehicles are entering inside. We plan to bring down the permitted number of vehicles in a day to 20, but this will be done once we have enough electric golf carts available," said Suneesh Buxy, Delhi's principal chief conservator of forest and chief wildlife warden.

The LG House, when contacted, said the sanctuary was being run and maintained by the Delhi forest department.

The Delhi government did not respond to HT's queries for comment.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

पंजाब केसरी
दिल्ली, मंगलवार
NAME OF NEWSPAPERS---------- 16.01.2024 ----------DATED----------

रानी खेड़ा इलाके में 147 एकड़ पर विकसित होगा औद्योगिक क्षेत्र

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के रानी खेड़ा इलाके में जल्द वर्ल्ड क्लास औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने वाला है। 147 एकड़ भूमि में विकसित होने वाले इस औद्योगिक क्षेत्र से लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा जिससे उनकी आय में इजाफा होगा।

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने रानी खेड़ा इलाके में 147 एकड़ भूमि को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए अधिसूचित करने की मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि विचाराधीन भूमि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा 2007 में ही दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) को हस्तांतरित कर दी गई थी। इस पर डीएसआईआईडीसी मल्टीलेवल मैन्युफैक्चरिंग हब विकसित करना चाहता था, लेकिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा 14 दिसंबर 2017 को लगाई रोक की वजह से यह परियोजना अटकी रही। इसके बाद 31 जुलाई 2023 को उच्चतम न्यायालय ने एनजीटी के आदेश के

खास बातें...

- एलजी ने सितंबर में बापरोला और मई में कंझावला औद्योगिक क्षेत्र के लिए दी थी मंजूरी

खिलाफ निर्णय दिया, जिसके बाद इस भूमि को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने का रास्ता साफ हो गया। कानूनी बाधाएं दूर होने के बाद दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग ने 3 जनवरी 2024 को एलजी के सक्सेना के समक्ष इसकी फाइल प्रस्तुत की। विभाग ने दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 के संदर्भ में दिल्ली औद्योगिक विकास संचालन और रखरखाव (डी आई डी ओ एम) अधिनियम, 2010 की धारा 2 की उप-धारा (के) के तहत डीएसआईआईडीसी द्वारा रानी खेड़ा औद्योगिक क्षेत्र को एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए अधिसूचित किए जाने को उनकी मंजूरी मांगी थी जिसे एलजी ने मंजूरी दे दी, ऐसे ही प्रस्तावों पर उन्होंने तीन महीने पहले सितंबर 2023 में बापरोला औद्योगिक क्षेत्र में 55.20 एकड़ भूमि और मई 2023 में कंझावला औद्योगिक क्षेत्र में 920 एकड़ भूमि निर्दिष्ट करने की मंजूरी दी थी। रानी खेड़ा औद्योगिक क्षेत्र का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय उपराज्यपाल को बताया गया कि केंद्र के लॉ ऑफिसर ने यह राय दी कि मामले की रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने 31 जुलाई 2023 को निर्णय दिया था। न्यायालय का स्पष्ट रूप से मानना है कि विचाराधीन भूमि को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के उद्देश्य के लिए उपयोग करने से मुक्त कर दिया गया है और इसलिए प्रश्नकर्ताओं को उन उद्देश्यों के लिए भूमि का उपयोग करने से नहीं रोका गया है जिनके लिए इसे अधिग्रहित किया गया था।

जेजे कलस्टर को ध्वस्त करने वाले बयान निराधार: डीडीए

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): आप नेताओं द्वारा झुग्गियां तोड़े जाने का आरोप लगाए जाने पर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। डीडीए ने सोमवार को एक बयान जारी कर कहा कि गत दिनों दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज व गोपाल राय के हवाले से झुग्गियों को ध्वस्त करने के लिए डीडीए द्वारा किए जा रहे सर्वेक्षण के संबंध में मीडिया रिपोर्ट आई हैं। इसलिए यहां यह रिकार्ड में लाया जाना आवश्यक है कि किसी भी झुग्गी को ध्वस्त नहीं किया गया है और न ही ध्वस्त किया जा सकता है। क्योंकि केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) द्वितीय अधिनियम, 2011 की वैधता को 31 दिसंबर 2026 तक तीन साल के लिए बढ़ा दिया है। इसके अनुसार दिल्ली में जेजे क्लस्टर सहित कुछ अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसलिए आप नेताओं का बयान न केवल झूठा, निराधार और शरारतपूर्ण हैं बल्कि लोगों को गुमराह करने के इरादे से भी प्रेरित हैं। बकौल डीडीए, बयान में सर्वे के बारे में भी स्पष्टीकरण दिया गया है। बताया गया है लोक कल्याण

मार्ग पर तीन जेजे क्लस्टर के लिए तत्काल सर्वेक्षण प्रक्रिया वर्ष 2011 में डयूसिब द्वारा शुरू हुई थी। यहां तीन कैंप में से दो कैंप रक्षा मंत्रालय की जमीन पर हैं जो महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास को प्रभावित कर रहे हैं। गौरतलब है कि इन स्थलों पर पुनर्वास के लिए प्रारंभिक राशि वर्ष 2011 में ही तय कर ली गई थी और पुनर्वास के लिए राशि 2013 में जमा कर दी गई थी। इतना ही नहीं डीडीए लाभार्थियों की सूची को अपडेट करने के लिए एरिया का पुनः सर्वेक्षण कर रहा है, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी छूट न जाए। इस प्रेक्टिस का मुख्य उद्देश्य इन जेजे क्लस्टरों में रहने वाले लोगों का पुनर्वास सुनिश्चित करना है। यह भी रिकार्ड में लाया गया है कि डीडीए ने हाल ही में लाभार्थियों की पूर्ण संतुष्टि के लिए कालकाजी में जेजे क्लस्टर के निवासियों का पुनर्वास किया है और इसके विपरीत कोई भी बयान गलत है।

दैनिक भास्कर, नई दिल्ली, मंगलवार, 16 जनवरी, 2024

एलजी ने दी रानी खेड़ा में इंडस्ट्रियल एरिया विकसित करने की मंजूरी

नई दिल्ली | एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को रानी खेड़ा में 147 एकड़ भूमि पर इंडस्ट्रियल एरिया विकसित करने की मंजूरी दी है। एलजी सचिवालय के अनुसार, इस योजना के लिए डीडीए द्वारा 16 साल पहले भूमि को आबंटित कर दिया गया था। रानी खेड़ा को अब एलजी सक्सेना के प्रयासों के कारण औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है। एलजी ने कहा कि रानी खेड़ा इलाके में 147 एकड़ भूमि को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित होने से लोगों को रोजगार मिलेगा।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF 16 जनवरी • 2024 राष्ट्रीय सहारा ----------DATED----------

रानी खेड़ा में दिल्ली सरकार को मिली 147 एकड़ जमीन

■ नई दिल्ली (एसएनबी)।

■ उद्योग विभाग के प्रस्ताव को एलजी ने दी मंजूरी

■ 16 साल से लटका हुआ था मामला : उप-राज्यपाल

उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने उत्तरी-पश्चिमी दिल्ली के रानी खेड़ा इलाके की 147 एकड़ जमीन को उद्योगों के लिए विकसित करने के लिए अधिसूचित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने यह जमीन 16 वर्ष पहले दी थी। खास बात यह है कि उप-राज्यपाल ने इससे पहले बीते साल सितम्बर में बापरोला और मई में कंझावला औद्योगिक क्षेत्र के लिए यह मंजूरी दी थी। यह जानकारी राजनिवास ने जारी बयान में दी है।

राजनिवास के अधिकारी ने बताया है कि डीडीए ने उपरोक्त जमीन वर्ष 2007 में दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) को हस्तांतरित की थी। डीएसआईआईडीसी की इस जमीन पर मल्टीलेवल मैन्यूफैक्चरिंग हब विकसित करने की योजना थी, लेकिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 14 दिसम्बर 2017 में इस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी थी। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने एनजीटी के आदेश को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस भूमि को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने का रास्ता साफ हो गया। कानूनी बाधाएं दूर होने के बाद दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग ने 3 जनवरी को यह फाइल राजनिवास भेज दी।

दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 के संदर्भ का उल्लेख करते हुए दिल्ली औद्योगिक विकास संचालन और रखरखाव (डीआईडीओएम) अधिनियम-2010 की धारा 2 की उप-धारा (के) के तहत डीएसआईआईडीसी के प्रस्ताव को एलजी से मंजूरी मांगी थी। प्रस्ताव को एलजी ने मंजूरी दे दी है। इसके पहले एलजी ने बापरोला में 55.20 एकड़ और मई में कंझावला में 920 एकड़ जमीन औद्योगिक क्षेत्र के लिए मंजूर की थी।

दिल्ली सरकार के मंत्रियों के बयान बेबुनियाद : डीडीए

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

■ केंद्र सरकार के निर्णय के बाद 31 दिसम्बर 2026 तक सभी जेजे कलस्टर सुरक्षित

नई दिल्ली। राजधानी में झुग्गियों को तोड़ने के लिए सर्वेक्षण कराए जाने के बयान के विरुद्ध दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) अब खुलकर सामने आ गया है। प्राधिकरण ने जारी बयान में दिल्ली सरकार के तीन मंत्रियों गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज एवं आतिशी के बयानों को बेबुनियाद बताते हुए कहा है कि ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं कराया जा रहा है।

प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) अधिनियम 2011 की वैधता को तीन साल की अवधि के लिए (31 दिसंबर 2026 तक) बढ़ा दिया है। इसके बाद से सभी स्लम क्षेत्र पूरी तरह से सुरक्षित हैं।

प्राधिकरण का कहना है कि केंद्र सरकार से मिली राहत के बाद किसी भी स्लम के विरुद्ध कार्रवाई कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में इन मंत्रियों के बयान पूरी तरह से असत्य, आधारहीन एवं शरारतपूर्ण हैं और लोगों को गुमराह करने वाले हैं।

उन्होंने तर्क दिया है कि लोक कल्याण मार्ग पर तीन जेजे कलस्टरों के लिए तत्काल सर्वेक्षण प्रक्रिया दिल्ली शहरी आश्रम सुधार बोर्ड राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा वर्ष 2011 में शुरू की गई थी। इनमें दो जेजे कलस्टर रक्षा विकास भी भूमि पर हैं, इससे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का विकास प्रभावित हो रहा है। इनके पुनर्वास की प्रारंभिक राशि वर्ष 2011 में ही तय कर ली गई थी और यह राशि वर्ष 2013 में जमा भी कर दी गई थी। डीडी, लाभार्थियों की सूची को अपडेट करने के लिए पुनः सर्वेक्षण कर रहा है। जिससे कोई भी पात्र लाभार्थी न छूटे। इसका उद्देश्य उनके पुनर्वास को सुनिश्चित करना है।

अधिकारी का कहना है कि डीडीए ने अभी हाल ही में कालकाजी समेत तीन जेजे कलस्टरों का पुनर्वास किया है। डीडीए ने 13 जनवरी 2024 को गोकुलपुरी में निर्माण गिराने के संबंध में यह रेकार्ड में रखा है कि प्राधिकरण ने यह कार्रवाई की थी। उपरोक्त जमीन पर वाणिज्यिक प्रतिष्ठान थे। प्राधिकरण ने लोगों से आग्रह किया है कि इस तरह के गलत बयानों से बचें।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SER

millenniumpost
NEW DELHI | TUESDAY, 16 JANUARY, 2024

L-G gives nod to notify 147 acres of land for industrial development

In Rani Khera locality of North West Delhi

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: The Lieutenant Governor (L-G) of Delhi, V K Saxena gave the green light to notify 147 acres of land in Rani Khera, North-West Delhi for developing it as an industrial area, informed sources from Raj Niwas on Monday.

The land was transferred to the Delhi State Industrial and Infrastructural Development Corporation (DSIIDC) from the Delhi Development Authority (DDA) in 2007, with the intention of developing a Multilevel Manufacturing Hub.

The project was on hold due to a stay imposed by the National Green Tribunal (NGT) on December 14, 2017, till the Supreme Court vacated the order on July 31, 2023.

Following this, the Industries Department in Government of National Capital Territory of Delhi sought for Saxena's approval to notify the Rani Khera Industrial area to be developed as an industrial area by the DSIIDC under Subsection (k) of Section 2 of the Delhi Industrial Development Operation and Maintenance (DIDOM) Act, 2010 in terms of the Master Plan of Delhi 2021, the sources informed.

L-G V K Saxena FILE PIC

They added, 'While submitting the proposal of Rani Khera industrial area, the L-G was informed that the Centre's law officer has opined that the Judgement passed by the Supreme Court is amply clear in holding that the land in question is released from being used for the purpose of the solid waste management and hence, the querist is not prevented from using the land for the purposes for which is was acquired.'

This decision comes three months after the Lieutenant Governor had given similar approval for 55.2 acres of land in Baproal industrial area in September 2023 and 920 acres in Kanjhawala Industrial area in May 2023.

NAME OF NEWSPAPERS

amarujala.com

मंगलवार, 16 जनवरी 2024

डीडीए ने झुग्गियों को हटाने के आरोप को बेबुनियाद बताया

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी की ओर से कई दिनों से झुग्गी बस्तियों को उजाड़ने के लगाए जा रहे आरोपों को डीडीए ने बेबुनियाद करार दिया है। इतना ही नहीं, डीडीए ने कहा है कि उनके बयान न केवल असत्य व आधारहीन हैं, बल्कि यह लोगों को गुमराह करने की भी कोशिश है। डीडीए ने बताया कि किसी भी स्लम क्षेत्र में निर्माण नहीं गिराया गया है और वह कोई भी निर्माण गिरा नहीं सकती, क्योंकि केंद्र सरकार ने हाल ही में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) द्वितीय अधिनियम 2011 की वैधता को तीन वर्ष की अवधि के लिए 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया है। इसके तहत दिल्ली में जेजे कलस्टर सहित कुछ अनधिकृत विकास को दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षित रखा गया है। ब्यूरो

the pioneer

TUESDAY | JANUARY 16, 2024

Delhi LG gives nod for notifying 147 acres in Rani Khera for industry

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

Lieutenant Governor Vinai Kumar Saxena has given his nod for notifying 147 acres of land in northwest Delhi's Rani Khera locality for developing it as an industrial area, Raj Niwas officials said on Monday.

The land was transferred to the Delhi State Industrial and Infrastructure Development Corporation (DSIIDC) from the Delhi Development Authority (DDA) in 2007.

The DSIIDC had plans to develop the multi-level manufacturing hub but due to the stay imposed by the National Green Tribunal (NGT) on December 14, 2017, the project got stuck until the Supreme Court vacated the NGT order on July 31, 2023.

After the legal hurdles were cleared, the Delhi government's Industries department sought Saxena's approval on January 3 for notifying Rani Khera for development as an industrial area by the DSIIDC under the provision of Sub-section (k) of Section 2 of the Delhi Industrial Development Operation and Maintenance (DIDOM) Act, 2010, in terms of the Master Plan of Delhi 2021.

The Lieutenant Governor's nod for notifying 147 acres of land in Rani Khera Industrial area comes three months after he gave similar approval for specifying 55.20 acres of land at Baprola Industrial area in September 2023 and 920 acres of land at Kanjhawala Industrial area in May 2023.

DDA issues clarification on demolition issue

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: The Delhi Development Authority (DDA) released a statement on Monday denying claims of demolishing any of the slums.

'At the outset, it is brought on record that none of the slums have been demolished and they cannot be demolished because of the fact the Central government has recently extended the validity of the National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second Act, 2011 up to December 31, 2026 for a period of three years, thus continuing protection of certain unauthorised developments including the JJ Clusters, in Delhi from punitive action,' mentioned the Authority.

This statement comes in the face of accusations raised by the Aam Aadmi Party leaders and members of Delhi Legislative Assembly, Saurabh Bhardwaj and Atishi.

This statement comes in the face of accusations raised by the AAP leaders and members of Delhi Legislative Assembly, Saurabh Bharadwaj and Atishi

'The Bharatiya Janata Party-led central government is conspiring to raze the slum areas of Delhi and relocate its residents 40 to 50 kms away from their homes. AAP and Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal are standing with them,' said Atishi while visiting B R Camp slum.